REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2563]	नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर ८, 2013∕कार्तिक 17, 1935
No. 2563]	NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 8, 2013/KARTIKA 17, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2013

का.आ.3401(अ).-केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की

धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट खंड, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट लंबाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात्:-

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	खंड	लंबाई (किमी में)
(1)	(2)	(3)
71	पंजाब/हरियाणा सीमा - जींद रोहतक खंड (हरियाणा राज्य में)	किमी 239.000 से 363.300

[फ़ा.सं. एनएच-14013/6/2012-पी एंड एम] माया प्रकाश, उप सचिव

4680 GI/2013

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2013

S.O.3401(E).— In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the said Table, of the National Highway number as specified in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

TABLE

National Highway No.	Section	Stretches in Kilometers
(1)	(2)	(3)
71	Punjab/Haryana Border-Jind Rohtak Section (in the State of Haryana)	From km.239.000 to km. 363.300

[F. No. NH-14013/6/2012-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2013

का.आ.3402(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

1	2	3
"8.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 10 [किमी. 29.700 से किमी 170.000 (दिल्ली/हरियाणा सीमा- रोहतक-हिसार) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 21ए, रारा सं. 22 [किमी. 5.735 से किमी.10.890और किमी. 40.000 से किमी. 62.200 (पंजाब/हरियाणा सीमा- हरियाणा/हिमाचल प्रदेश सीमा) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 64, रारा सं. 65, {किमी.	-
	5.000 से किमी. 241.580 (अंबाला – कैथल – नरवाना – हिसार – हरियाणा/राजस्थान सीमा) तक खंड को छोड़कर}, रारा सं. 71 [किमी 239.00 से किमी. 450.800 (पंजाब/हरियाणा सीमा - जींद - रोहतक - बावल) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 71ए [किमी 0.000 से किमी 80.858 (रोहतक-पानीपत) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 709 विस्तार [(रारा-9 (नई सं.) पर रोहतक से भिवानी, लोहानी, लोहारू को जोड़ने वाला], रारा	
	सं. 71बी, रारा सं. 72, रारा सं. 73 [किमी. 71.640 से किमी. 179.285 (उत्तर प्रदेश/हरियाणा सीमा - यमुनानगर - साहा - बरवाला - पंचकूला) तक खंड को छोड़कर] और रारा सं. 73ए के उतने भाग जो हरियाणा राज्य में अवस्थित हैं ।	

[फा.सं. एनएच-14013/6/2012-पी एंड एम]

टिप्पण : मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ.-2797 (अ), तारीख 16 सितंबर, 2013 द्वारा संशोधित किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2013

S.O. 3402(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the Schedule to the said notification, for serial number 8 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely : —

"8.	So much of National Highways No. 10 [excluding from km. 29.700 to km.	State Government
	170.000 (Delhi/Haryana Border-Rohtak-Hissar)], No. 21A, No.22 [excluding from	of Haryana."
	km. 5.735 to km. 10.890 and from km. 40.000 to km. 62.200 (Punjab/Haryana	
	Border-Haryana/Himachal Border)], No.64, No. 65 {excluding from km. 5.000 to	
	km 241.580 (Ambala-Kaithal-Narwana-Hissar-Hayana/Rajasthan Border)}, No.71	
	[excluding from km. 239.00 to km. 450.800 (Punjab/Haryana Border-Jind-Rohtak-	
	Bawal Section)], No. 71A [excluding from km.0.000 to km.80.858 (Rohtak-	
	Panipat), extension of new No. NH 709 [from Rohtak on NH-9 (new number)	
	connecting Bhiwani, Lohani, Loharu], No. 71B, No. 72, No. 73 [excluding from	
	km.71.640 to km.179.285 (Uttar Pradesh/Haryana Border-Yamunanagar-Saha-	
	Barwala-Panchkula)] and No. 73A as are situated within the State of Haryana.	

[F. No. NH-14013/6/2012-P&M] MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Foot note: - The principal notification was published *vide* number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 2797 (E), dated the 16th September, 2013.